उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या 510/2017/9(120)/XXVII(8)/2017
देहरादून:: दिनांक:: 29 जून, 2017

## अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है,

अतएव, अब, राज्यपाल, "उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम सं0 06 वर्ष 2017)" की धारा 1 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, दिनांक 01 जुलाई, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, जिस तारीख से उक्त अधिनियम की धारा 6 से धारा 9, धारा 11 से धारा 21, धारा 31 से धारा 41, धारा 42 की उपधारा (9) के परन्तुक को छोडकर धारा 42, धारा 43 की उपधारा (9) के परन्तुक को छोडकर धारा 43, धारा 44 से धारा 50, धारा 53 से धारा 138, धारा 140 से धारा 145, धारा 147 से धारा 163, धारा 165 से धारा 174 के उपबन्ध लागू होंगे।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

सं0 510/2017/9(120)/XXVII(8)/2017तद्दिनांक।
प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–
1– आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियो, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
2– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित की इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
3– भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
4– अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5– एन0आई0सी0
6– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,
(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनुसचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. / 2017/ 9(120)/XXVII(8)/ 2017 dated June, 2017 for general information

**Government of Uttarakhand**
**Finance Section-8**
**No. /2017/9(120)/XXVII(8)/2017**
**Dehradun :: Dated :: June, 2017**

**Notification**

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the "Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 06 of 2017)", the Governor is pleased to allow to appoint the 1st day of July, 2017 as the date from which the provisions of section 6 to section 9, section 11 to section 21, section 31 to section 41, section 42 except the proviso to sub-section (9) of section 42, section 43 except the proviso to sub-section (9) of section 43, section 44 to section 50, section 53 to section 138, section 140 to section 145, section 147 to section 163, section 165 to section 174 of the said Act shall come into force.

(Radha Raturi)
Principal Secretary